



निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदो./अनु.क्षेत्र./2022-23/संस्था/बीमा/

दिनांक : 30-11-2022

आदेश 547

वित्त (बीमा) विभाग का पत्र क्रमांक प.4(59) वित्त/राजस्व/92 पार्ट दिनांक 10.08.2022 द्वारा विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/पर्यवेक्षक के कुल 149 स्वीकृत पदों में 26 पद कम करते हुए कुल 123 पद स्वीकृत किये गये हैं। वित्त बीमा विभाग के पत्र क्रमांक प.4(59) वित्त/राजस्व/92 पार्ट दिनांक 22.11.2022, बारकोड संख्या 322200318 दिनांक 22.07.2022 द्वारा वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनमोदन पश्चात वर्तमान में बीमा विभाग में पर्यवेक्षक पदनाम से कार्यरत एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदनाम से कार्यरत कार्मिकों की कुल कार्यरत संख्या को कुल स्वीकृत 123 पदों में से घटाते हुए शेष रिक्त पदों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के रूप में रिक्ति का निर्धारण करते हुए विभाग को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर बिना विकल्प प्राप्त किये वर्ष 2022-23 की डीपीसी आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्तानुसार विभाग द्वारा स्वीकृत कुल 123 पदों में 6 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

अतः विभाग के अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 29.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पे बैंड 9300-34800 (पी.बी.2) (ग्रेड-पे-4200) (Level-11 in Pay Matrix) में पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	चयन वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्री धनराज पटेल	-	2022-23	01.04.2022	-	से.नि. दिनांक 31.10.2022
2.	श्री ओम प्रकाश चौबीसा	-	2022-23	01.04.2022	प्रतापगढ़	-

उक्त अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. बी. सी. बघाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदो./अनु.क्षेत्र./2022-23/संस्था/बीमा/11277-297

दिनांक : 30-11-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. वरि.अति./अति./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर संभाग/जिला कार्यालय बांसवाड़/प्रतापगढ़/डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पदोन्नत कार्मिक को कार्यग्रहण करवाया जाकर कार्यग्रहण रिपोर्ट शीघ्र भिजवायें।
5. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
8. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(सौम्या शर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)